लिखित प्रश्न सं.726

जिसका उत्तर 21.11.2019 को दिया जाना है

दुर्घटना प्रवण राष्ट्रीय राजमार्गों की पहचान

726. श्री जुएल ओरामः

श्री बी॰एन॰ बचेगौडाः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न राज्यों में दुर्घटना-प्रवण राष्ट्रीय राजमार्गों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ओडिशा में ऐसे दुर्घटना प्रवण राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है;

(ग) इसके क्या कारण हैं और विगत वर्ष के दौरान ऐसे प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुल कितनी मौतें हुई हैं;

(घ) सरकार द्वारा इन राष्ट्रीय राजमार्गों को सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का देश में दुर्घटना प्रवण सड़क क्षेत्रों खतरनाक स्थानों की पहचान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और मौजूदा स्थिति क्या है; और

(च) क्या विश्व बैंक इस प्रयोजनार्थ सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख): मंत्रालय राष्ट्रीय राजमार्गों पर इंजीनियरिंग उपायों के माध्यम से सड़क सुरक्षा में सुधार की दिशा में सम्मिलित प्रयास कर रहा है। चिंहित 789 ब्लैक स्पॉटों को प्रत्येक स्पॉट के लिए सौंपे गए यूनीक आईडी नंबर के साथ अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटना संबंधी ब्लैक स्पॉटों की जांच और सुधार किए जाने के लिए दिशानिर्देश तैयार अधिसूचित किए गए हैं। अब तक 395 ब्लैक स्पॉट में सुधार किया गया है। कुल 510 ब्लैक स्पॉट एनएचएआई के अधिकार क्षेत्र में हैं, 150 ब्लैक स्पॉट राज्य लोक निर्माण विभाग (रारा) के अधिकार क्षेत्र में हैं, शेष 129 ब्लैक स्पॉट राज्य सरकार के अधीन हैं। एनएचएआई के अधिकार क्षेत्र के 510 ब्लैक स्पॉट्स में से 276 को पहले ही ठीक कर लिया गया है। लोक निर्माण विभाग (रारा) के अधिकार क्षेत्र के तहत 150 ब्लैक स्पॉट्स में से 119 पहले ही ठीक हो चुके हैं। इसका राज्य वार विवरण अनुलग्नक- I में दिया गया है। इन 789 ब्लैक स्पॉट में से कुल 12 ब्लैक स्पॉट ओडिशा में हैं। 12 ब्लैक स्पॉट में से 4 पहले ही ठीक हो चुके हैं।

(ग): महोदय, राष्ट्रीय राजमार्गों पर कई कारणों अर्थात् खराब मौसम, पशुओं के सड़क पार करने, मोटर वाहन की यांत्रिक खराबी, चालकों की थकान, मादक पदार्थों / शराब के नशे में वाहन चलाने, तेज गति से खतरनाक ड्राइविंग, ओवर टेकिंग और लापरवाही/ रैश ड्राइविंग आदि से दुर्घटनाएं होती हैं।

सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कैलेंडर वर्षों अर्थात् 2016 से 2018 तक देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं और मारे गए लोगों की कुल संख्या नीचे तालिका में दी गई है: -

वर्ष	देश में राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेस वे पर मारे गए लोगों की कुल संख्या
2016	52,075
2017	53,181
2018	54,046

(घ): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार कई कदम उठाए हैं:-

i सरकार ने राजमार्ग प्रयोक्ताओं के लिए एक मोबाइल ऐप शुरू किया है, जिसका नाम "सुखद यात्रा 1033" है। इससे राजमार्ग प्रयोक्ता दुर्घटनाओं सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के गड्ढों और अन्य सुरक्षा खतरों की शिकायत कर सकते हैं।

ii अभिनिर्धारित ब्लैक स्पॉटों (दुर्घटना संभावित स्थलों) में सुधार।

iii राजमार्ग के विकास के सभी चरणों अर्थात् डिजाइन / निर्माण / परिचालन चरणों में सड़क सुरक्षा ऑडिट किए जा रहे हैं ।

iv सुरक्षित सड़क पार करने के लिए पैदल यात्रियों और अन्य सड़क प्रयोक्ताओं को फुट ओवर ब्रिज और अंडर पास जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

v राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क प्रयोक्ताओं के बीच सुरक्षित व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है।

vi सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति अनुमोदित की है। इस नीति में विभिन्न उपाय बताए गए हैं जैसे जागरूकता संवर्धित करना, सड़क सुरक्षा सूचना डाटाबेस स्थापित करना, कुशल परिवहन के उपयोग सहित सुरक्षित सड़क अवसंरचना को प्रोत्साहित करना, सुरक्षा कानूनों का प्रवर्तन आदि का सारांश बताया गया है।

vii मंत्रालय ने परिवहन की बेहतर प्रणालियों की जांच करने और सड़क सुरक्षा को सुधारने के लिए विषयों का सुझाव देने के लिए राज्यों के परिवहन मंत्रियों के मंत्री समूह का गठन किया है। मंत्री समूह की सिफारिशों के आधार पर, मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के संपूर्ण विस्तार को सम्मिलित करते हुए मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2019 पेश किया था, जिसे संसद द्वारा पारित किया गया।

viii मंत्रालय ने 4 'ई' अर्थात् शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों के लिए), प्रवर्तन और आपात परिचर्या पर आधारित सड़क सुरक्षा के मुद्दे के समाधान के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है।

ix सड़क सुरक्षा को योजना स्तर पर सड़क डिजाइन के एक अभिन्न भाग के रूप में बनाया गया है।

x राष्ट्रीय राजमार्ग की चार लेनिंग के लिए शुरुआत को 15,000 पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) से घटाकर 10,000 पीसीयू कर दिया गया है। राज्यीय राजमार्गों के लगभग 52,000 किमी खंडों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने के लिए अभिज्ञात किया गया है।

xi राज्यों में आदर्श ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना और असंगठित क्षेत्र में भारी मोटर वाहनों के चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण।

xii इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर समर्थन/प्रचार अभियान।

xiii वाहनों के सुरक्षा मानकों को सख्त बनाना जैसे सीट बेल्ट, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम आदि।

xiv राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉटों (दुर्घटना संभावित स्थलों) के अभिनिर्धारण और दोष निवारण को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

xv मंत्रालय ने सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोष निवारण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अभिनिर्धारित सड़क दुर्घटना ब्लैक स्पॉटों के दोष निवारण के लिए विस्तृत प्राक्कलनों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों को तकनीकी अनुमोदन के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है।

xvi मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 14.01.2016 के तहत या तो ईपीसी/बीओटी परियोजनाओं अथवा स्टैंड अलोन सड़क सुरक्षा संपरीक्षा के भाग के रूप में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा संपरीक्षा करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए थे।

xvii दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल यात्री सुविधाओं के लिए दिशानिर्देश भी सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को जारी कर दिए गए हैं।

xviii भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचई) ने सड़क सुरक्षा संपरीक्षकों के लिए एक प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया है और 42 संपरीक्षकों के पहले बैच को प्रमाणित किया है।

xix सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क प्रयोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए देश के प्रत्येक जिले में जिले के माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति गठित की है।

xx राजमार्ग पर चलने वाले ट्रक / बस चालकों के लिए नि: शुल्क नेत्र जांच शिविर और चश्मों का वितरण किया जाता है।

xxi देशभर में फैली एनएचएआई परियोजना में शामिल एनएचएआई के फिल्ड कर्मचारियों / रियायतग्राहियों / ठेकेदारों / परामर्शदाताओं का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता बढ़ाना।

xxii सुरक्षित सड़क पार करने के लिए पैदल यात्रियों और अन्य सड़क प्रयोक्ताओं को फुट ओवर ब्रिज और अंडर पास जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

xxiii माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार फाइल संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/309/2016 / एस एंड आर दिनांकित 06-04-2017 और 01-06-2017 के परिपत्र के माध्यम से शराब की दुकानें हटाना।

(ङ.): राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षा करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार और अधिसूचित किए गए हैं। सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षा को ईपीसी / बीओटी मोड की सभी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं का हिस्सा बनाया गया है। मंत्रालय ने परिपत्र जारी किया है, जिसके द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) / इंजीनियरिंग डिजाइन के चरण में 5 किमी या उससे अधिक की लम्बाई की सभी नई सड़क परियोजनाओं के लिए सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षा अनिवार्य की गई है। मंत्रालय ने दुर्घटनाग्र संभावित स्थानों पर मुख्य रूप से पहाड़ी राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पहाड़ी इलाकों में क्रैश बैरियर लगाने का काम किया है। मंत्रालय दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में यातायात को सुचारू करने के उपाय करने का समर्थन करता है। भारतीय सड़क कांग्रेस ने आईआरसी 99: यातायात को सुचारू करने के उपायों के लिए दिशानिर्देश प्रकाशित किए हैं। मंत्रालय ने परिपत्र सं. आरडब्ल्यू / एनएच - 29011 / 01/2019-एस एंड आर (पी एंड बी) दिनांकित 26.08.2019 के माध्यम से दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट के सुधार के संबंध में समेकित दिशानिर्देश / विनिर्देश भी जारी किए हैं।

(च): जी हां, मंत्रालय ने विश्व बैंक के वित्तपोषण से एक परियोजना अर्थात् "समेकित सड़क दुर्घटना डेटाबेस (आईआरएडी)" शुरू करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य ऐप-आधारित सॉफ़्टवेयर के माध्यम

से स्थल से दुर्घटना डेटा संग्रहित करना और ब्लैक स्पॉट्स तथा अन्य दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान के लिए डेटा का विश्लेषण करना है ताकि व्यापक नीति तैयार करने में मदद मिल सके और देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा सकें।

अनुलग्नक-I

'सड़क दुर्घटना प्रवण राष्ट्रीय राजमार्गों की पहचान' के संबंध में श्री जुएल ओराम: श्री बी.एन. बचेगौडा द्वारा पूछे गए दिनांक 21.11.2019 के लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 726 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

ब्लैक स्पॉट्स का विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ब्लैक स्पॉट की कुल संख्या	पीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र के अधीन	सुधार कर दिया गया	कार्य प्रगति पर	संस्वीकृत/ निविदा	एनएचएआई के अधिकार क्षेत्र के अधीन	सुधार कर दिया गया	कार्य प्रगति पर	संस्वीकृत/ निविदा
1.	आंध्र प्रदेश	9	**0**	0	0	0	**9**	4	1	4
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	**0**	0	0		**0**	0	0	0
3.	बिहार	25	**5**	5	0	0	**19**	15	3	0
4.	छत्तीसगढ़	30	**15**	15	0	0	**15**	11	4	0
5.	दिल्ली	13	**0**	0	0	0	**2**	1	1	0
6.	गुजरात	26	**0**	0	0	0	**25**	15	10	0
7.	हिमाचल प्रदेश	5	**3**	3	0	0	**0**	0	0	0
8.	हरियाणा	38	**0**	0	0	0	**36**	18	16	2
9.	झारखंड	26	**6**	6	0	0	**16**	4	11	1
10.	जम्मू और कश्मीर	9	**0**	0	0	0	**5**	3	2	0
11.	कर्नाटक	86	**12**	12	0	0	**38**	26	7	5
12.	केरल	33	**19**	4	12	3	**14**	12	2	0
13.	महाराष्ट्र	35	**3**	3	0	0	**26**	11	8	5
14.	मेघालय	8	**5**	5	0	0	**3**	2	1	0
15.	मध्य प्रदेश	54	**12***	5	6	0	**35**	27	7	1
16.	मिजोरम	1	**0**	0	0	0	**0**	0	0	0
17.	नगालैंड	3	**3**	2	1	0	**0**	0	0	0
18.	ओडिशा	12	**0**	0	0	0	**12**	4	8	0
19.	राजस्थान	61	**13**	10	3	0	**40**	33	7	0
20.	तेलंगाना	76	**26**	23	3	0	**45**	24	17	4
21.	तमिलनाडु	102	**18**	18	0	0	**78**	17	45	12
22.	उत्तर प्रदेश	104	**6**	5	1	0	**68**	44	24	0
23.	पश्चिम बंगाल	32	**4**	3	0	1	**24**	5	15	0
	जोड	**789**	**150**	**119**	**26**	**4**	**510**	**276**	**189**	**34**

*****